

फॉर्म डी

[नियम 12(3) देखें]

नामांकन के निरस्तीकरण या परिवर्तन हेतु आवेदन के फॉर्म

(यह फॉर्म धारक(कों) द्वारा भरा जाएगा तथा कार्यालय के बैंक अधिकारी को जहां प्रमाणपत्र पंजीकृत होते हैं, प्रमाणपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

.....

मैं/ हम किसान विकास पत्र का धारक हूँ/ हूँ, एतद्वारा इन प्रमाणपत्रों के संबंध में मेरे/ हमारे द्वारा किए गए नामांकन को निरस्त करता हूँ/ करते हैं तथा क्र.सं. _____ दिनांक _____ के तहत आपके कार्यालय में पंजीकृत करता हूँ/करते हैं.

* निरस्त किए गए नामांकन के स्थान पर. मैं/ हम एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को नामांकित करता हूँ/ करते हैं, जो मेरी/ हमारी मृत्यु के बाद, बचत प्रमाणपत्र के हकदार बन जाएंगे तथा अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर उन्हें उसकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा.

क्र.सं.	नामांकित(तों) के नाम	पूरा पता	नाबालिग के मामले में नामांकित की जन्म तारीख

* केवल परिवर्तन के मामले में भरने के लिए

चूंकि, उक्त विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (यों) _____ पर नामांकित नाबालिग हैं, नामांकित (तों) के नाबालिग रहने के दौरान मेरी मृत्यु होने की दशा में उस देय राशि को प्राप्त करने के लिए मैं/ हम/ श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ (नाम एवं पूरा पता) को नियुक्त करता हूँ/ करते हैं.

नीचे दिए गए प्रमाणपत्र संलग्न हैं

प्रमाणपत्रों की क्र.सं.	मूल्यवर्ग	जारी करने की तारीख	जारीकर्ता कार्यालय

भवदीय,

पता

_____ हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

धारक यदि अशिक्षित हैं तो

गवाह:

नाम _____ पता _____

नाम _____ पता _____

नोट: अशिक्षित धारकों के मामले में, गवाह वे व्यक्ति होंगे जिनके हस्ताक्षर बैंक को ज्ञात हो. नामांकन स्वीकार करने वाले बैंक अधिकारी का आदेश.

तारीख तथा बैंक अधिकारी की बैंक मुहर हस्ताक्षर का मुहर